# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

## RM वाद संख्या-49/2020-21

### छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

**मो० दुखनी देवी बनाम श्रीमति तरणी देवी वगैरह**

12.02.21

**आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

| | |
|---|---|
| विक्रेता का नाम एवं पता – | मो० दुखनी देवी पति–स्व० सन्तु महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी। |
| क्रेता का नाम एवं पता – | 1.श्रीमति तरणी देवी पति–राजेन्द्र महतो 2.किरण देवी पति–गणेश महतो, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी। |
| विद्वान अधिवक्ता का नाम – | श्री गिरेश्वर महतो। |

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–21/09/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता 1.श्रीमति तरणी देवी पति–राजेन्द्र महतो 2.किरण देवी पति–गणेश महतो, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| डोमनडीह | सोनाहातु/83 | 37 | 163 | 07 डी०<br>चौहद्दीः–<br>उ०–संतोष कुमार महतो वगै०।<br>द०–ब्लॉक वो अंचल भवन।<br>पू०–बिषम महतो वगैरह।<br>प०–संतोष कुमार महतो वगै०। |
| | | | 360 | 11 डी०<br>चौहद्दीः–<br>उ०–साहेब राम महतो। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | द०–नारायण महतो वगै०।<br>पू०–सामनाथ महतो वगै०।<br>प०–रास्ता। |
| | | | 361 | 12 डी०<br>चौहद्दीः–<br>उ०–साहेब राम महतो।<br>द०–नारायण महतो वगै०।<br>पू०–सामनाथ महतो वगै०।<br>प०–रास्ता। |
| | | | 301 | 38 डी०<br>चौहद्दीः–<br>उ०–रथु देवी वगै०।<br>द०–परतीकदीम।<br>पू०–मो० जाफरआलम।<br>प०–ब्लॉक वो अंचल भवन। |
| | | | 302 | 16 डी०<br>चौहद्दीः–<br>उ०–रथु देवी वगै०।<br>द०–परतीकदीम।<br>पू०–रथु देवी वगै०।<br>प०–उमेश महतो। |

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–48(ii) दिनांक–28/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रतन महतो, यदु महतो, फउदा महतो, चइतन महतो पेशरान करमु महतो व झुपरा महतो वल्द खुदी महतो कौम कुरमी के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत के पौत्र वधु लगती है, एंव स्वयं पंजी–II रैयत है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम रतनु महतो वगैरह एवं दुखनी देवी है। तथा रैयत के पास रकबा–5.79 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019–20 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्रवधु लगती है, एवं स्वयं जमाबंदी रैयत है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–4.95 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक खर्च हेतु बिक्री कर रही है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी (BC-I) जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही राँची जिला अन्तर्गत राजस्व थाना राहे के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता मो० दुखनी देवी पति–स्व० सन्तु महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, को क्रेता 1.श्रीमति तरणी देवी पति–राजेन्द्र महतो 2.किरण देवी पति–गणेश महतो, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–21/09/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता मो० दुखनी देवी पति–स्व० सन्तु महतो, ग्राम–डोमनडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी, को क्रेता 1.श्रीमति तरणी देवी पति–राजेन्द्र महतो 2.किरण देवी पति–गणेश महतो, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहिणी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/1/02

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।

8/1/02

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।